संख्या-5/2018/316 /तीन-17-05(1)/2004 टी0सी0-3

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर/गाजियाबाद/मथुरा/देवरिया/सहारनपुर/कुशीनगर/मुरादाबाद।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2018

विषय :-अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त/ वार्षिक की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85 सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई,1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5 (14)/97 सा0प्र0अनु0 दिनांक 06 मई, 1999 तथा शासनादेश संख्या-2028 (1)/तीन-2008 -5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर,2008 के अनुसार श्री राज्यपाल अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत अलंकृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु 08 नागरिकों को कुल धनराशि 5,00,000 /-(रू0 पांच लाख रूपये मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/ एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मेजर सुशील कुमार सिंह	कीर्ति चक्र 15-08-2008	तंगरौला, थाना नूरपुर जिला बिजनौर।	वित्तीय वर्ष-2017-18 की वार्षिकी रू0 रू0 1,00,000/-	मेजर सुशील कुमार सिंह
2	आई0सी0-70151कैप्टन देविन्द्र सिंह	कीर्ति चक्र 15-08-2010	218 महागुन मैनसन फेज-1 बैभवखण्ड	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 1,00,000/-	श्रीमती दलवीर कौर जस्स माता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	जस्स		इन्दिरापुरम गाजियाबाद		शहीद कैप्टन देविन्द्र सिंह जस्स
3	सन्तोष कुमार सहायक कार्यकारी इन्जीनियर (सिविल)	शौर्य चक्र 26-03-2009	26/2 हरिनगर कृष्णानगर मथुरा।	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	वास्तविक उत्तराधिकारी
4	स्व0 लांस नायक ज्योतिष प्रकाश	शौर्य चक्र 15-08-2007	जनपद-देवरिया	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	वास्तविक उत्तराधिकारी
5	मेजर विजयन्त चैहान	शौर्य चक्र 26-01-2009	आर 2/60 राजनगर पोस्ट कवि नगर गाजियाबाद	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	मेजर विजयन्त चैहान
6	ओ0ई0एम0 सतीश कुमार	शौर्य चक्र 15-08-2009	महाराणा प्रताप कालोनी, छुटमलपुर थाना फतेहपुर तहसील बेहट, सहारनपुर।	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	ओ0ई0एम0 सतीश कुमार
7	राईफलमैन अनिरूद्ध यादव	शौर्य चक्र 15-08-2011	ग्रा0 पिडरा (कटैया) तह0 हाटा जनपद कुशीनगर	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	राईफलमैन अनिरूद्ध यादव
8	आई0सी0 73653 कै0 (मेजर)वरूण कुमार	शौर्य चक्र 15-08-2015	म0न0-108 प्रकाश नगर इन्क्लेव नियर विवेकानन्द हास्पिटल काठ रोड मुरादाबाद।	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	आई0सी0 73653 कै0 (मेजर)वरूण कुमार
				कुल धनराशि रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख रूपये मात्र)	

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय ''के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगे की उपर्युक्त समस्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त म्समबजतवदपब निदक ज्तंदेमित से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। सम्बंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का "जीवित प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2018/316(1)/तीन-18-05(1)/2004 टी0सी0-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी,बिजनौर/गाजियाबाद/मथुरा/देवरिया/सहारनपुर/कुशीनगर/मुरादाबाद।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव,रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0 प्र0, कैसरबाग लखनऊ,उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हरीराम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Allotment object Wise Report

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या : 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षक : 2075008000300 - अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ.प्र. के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

मानक मद : 42 - अन्य व्यय वित्तीय वर्ष - 2017-2018 (धनराशि रूपये में)

आवंटन आदेश संख्या	आवंटन तिथि	कोषागार/अधिकारी	आवंटन
001-316-3-2018	20/03/2018	02-सहारनपुर - 4183-01-जिलाधिकारी	50000
001-316-3-2018	20/03/2018	07-मथुरा - 4183-01-जिलाधिकारी	50000
001-316-3-2018	20/03/2018	12-बिजनौर - 4183-01-जिलाधिकारी	100000
001-316-3-2018	20/03/2018	14-मुरादाबाद - 4183-01-जिलाधिकारी	50000
001-316-3-2018	20/03/2018	35-देवरिया- 4183-01-जिलाधिकारी	50000
001-316-3-2018	20/03/2018	59-गाजियाबाद- 4183-01-जिलाधिकारी	150000
001-316-3-2018	20/03/2018	73-कुशीनगर - 4183-01-जिलाधिकारी	50000
योग :			500000

(हरीराम)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।